रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 15, 2014/आषाढ़ 24, 1936
No. 200] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 15, 2014/ASHADHA 24, 1936

भारतीय रिज़र्व बैंक

अधिसूचना

मुम्बई, 5 जून, 2014

सं.शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी).अधि.सं.1/16.26.000/2013-14.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पिठत धारा 18 की उप-धारा (1) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि 12 जुलाई, 2014 से आरंभ होने वाले पखवाड़े से प्रत्येक प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक चाहे अनुसूचित सहकारी बैंक हो या अन्य, द्वारा बनाये रखे जाने वाले आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं का 4 प्रतिशत होगा।

एन. एस. विश्वनाथन, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./38/14]

RESERVE BANK OF INDIA
NOTIFICATION

Mumbai, the 5th June, 2014

No. UBD.BPD.(PCB). Not. No. 1/16.26.000/2013-14.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 18 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) read with section 56 thereof, the Reserve Bank, having regard to the needs for securing monetary stability in India, hereby specifies that the Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintained by every primary (urban) co-operative bank, whether a scheduled co-operative bank or not, shall be 4 per cent of the total of demand and time liabilities, from the fortnight beginning from July 12, 2014.

N. S. VISHWANATHAN, Executive Director

[ADVT. III/4/Exty./38/14]

अधिसूचना

मुम्बई, 5 जून, 2014

सं. श बैं वि.बीपीडी(पीसीबी).अधि. सं. 2/16.26.000/2013-14.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 24 की उप धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा यह निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक भारत में नीचे दिये गये विवरण के अनुसार आस्तियां रखना जारी रखेगा जिनका मूल्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की गयी मूल्यांकन विधि के अनुसार 12 जुलाई, 2014 से प्रारंभ होने वाले दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर भारत में कुल निवल मांग और मीयादी देयताओं के 22.5 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

(क) नकदी, अथवा

(ख) स्वर्ण, जिसका मूल्य चालू बाज़ार मूल्य से अधिक कीमत पर नहीं होगा, अथवा

(ग) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 5(क) में परिभाषित अनुसार अनुमोदित प्रतिभूतियों में भार रहित निवेश ।

2. उपर्युक्त के अलावा किसी बात के होते हुए भी:

(i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पिठत धारा 18 की उप-धारा के अंतर्गत किसी प्राथमिक सहकारी बैंक द्वारा संबद्ध जिले के केंद्रीय सहकारी बैंक में या संबद्ध राज्य के राज्य सहकारी बैंक में रखे जाने के लिए अपेक्षित अति शेष, जो भार रहित शेष राशि हो; अथवा

(ii) किसी प्राथमिक सहकारी बैंक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक या समनुषंगी बैंक या तत्स्थानी नया बैंक या आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, में रखी गई भार रहित मीयादी जमा राशि ;

उपर्युक्त मामलों में भी इस अधिसूचना में बताए गए प्रतिशत की गणना के प्रयोजनार्थ भार रहित मीयादी जमा राशि को 31 मार्च, 2015 तक आस्तियों के रूप में माना जाएगा।

स्पष्टीकरणः

क. किसी प्राथमिक सहकारी बैंक के "भार रहित निवेश" में अग्रिम अथवा किसी ऋण व्यवस्था के लिए किसी अन्य संस्था के पास रखी गयी उपर्युक्त अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश उस सीमा तक शामिल होगा जिस सीमा तक उन प्रतिभूतियों के बदले कोई आहरण न किया गया हो ।

ख. "मीयादी जमा" का अर्थ बैंक द्वारा एक विशिष्ट अवधि के लिए स्वीकार की गई वह जमा राशि है जो उस निर्धारित अवधि की समाप्ति पर आहरणीय होगी। इसमें आवर्ती/ संचयी/ वार्षिकी/ पुनर्निवेश जमाराशियां, नकदी प्रमाणपत्र और ऐसी ही जमाराशियां शामिल हैं।

ग. उपर्युक्त प्रयोजन के लिए राशि की गणना हेतु निम्नलिखित को भारत में रखी गयी नकदी के रूप में माना जाएगा:

(i) किसी प्राथमिक सहकारी बैंक, जो अनुसूचित हो, द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखे जाने के लिए अपेक्षित शेष से रखा गया अधिक शेष; तथा

(ii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पिठत धारा 18 के अंतर्गत किसी प्राथमिक सहकारी बैंक, जो अनुसूचित न हो, द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखे जाने के लिए अपेक्षित शेष से रखा गया अधिक शेष;

(iii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 18 की उप-धारा (1) में यथा परिभाषित "चालू खातों में निवल शेष" उक्त धारा के अंतर्गत रखे जाने वाले अपेक्षित शेष से रखा गया अधिक शेष।

एन. एस. विश्वनाथन, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./38/14]

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th June, 2014

No. UBD.BPD.(PCB).Not. No. 2/16.26.000/2013-14.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2A) of Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) read with section 56 thereof, the Reserve Bank hereby specifies that every primary (urban) co-operative bank shall continue to maintain in India assets as detailed below, the value of which shall not, at the close of business on any day, be less than 22.50 per cent of the total of demand and time liabilities in India as on the last Friday of the second preceding fortnight, from the fortnight beginning from July 12, 2014, valued in accordance with the method of valuation specified by the Reserve Bank from time to time.

(a) Cash, or
(b) Gold valued at a price not exceeding the current market price, or
(c) Unencumbered investment in approved securities as defined in section 5(a) of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) read with section 56 thereof.

2. Notwithstanding anything contained hereinabove, -

(i) Unencumbered balances maintained by a primary co-operative bank with the central co-operative bank of the district concerned or with the State co-operative bank of the State concerned, in excess of the balance required to be maintained by it under section 18 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) read with section 56 thereof; or
(ii) unencumbered term deposits held by a primary co-operative bank with State Bank of India or a subsidiary bank or a corresponding new bank or IDBI Bank Ltd.

shall also be deemed to be assets for the purpose of calculating the percentage specified under this notification, till March 31, 2015.

Explanation:

A. "Unencumbered investment" of a primary co-operative bank shall include its investment in the approved securities lodged with another institution for an advance or any other credit arrangement to the extent to which such securities have not been drawn against or availed of.
B. "Term deposit" shall mean a deposit which is withdrawable after the expiry of a fixed period and includes deposits such as recurring deposit, cumulative deposit, annuity deposit, reinvestment deposit and cash certificate.
C. In computing the amount for the above purpose, the following shall be deemed to be cash maintained in India:
   (i) Any balances maintained by a primary co-operative bank, which is a scheduled bank, with the Reserve Bank in excess of the balance required to be maintained by it under section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934); and
   (ii) Any balances maintained by a primary co-operative bank, not being a scheduled bank, with the Reserve Bank in excess of the balance required to be maintained by it under section 18 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) read with section 56 thereof; and
   (iii) "Net balances in current accounts" as defined in the Explanation to sub-section (1) of section 18 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) read with section 56 thereof, in excess of the balance required to be maintained by it under the said Section.

N. S. VISHWANATHAN, Executive Director

[ADVT. III/4/Exty./38/14]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.0